राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषकगण का नाम
1.	366/2023 सिद्धार्थ मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. शासन उप सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. किरोडी लाल मीणा, अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, करौली, मुख्यालय टोडाभीम, करौली।	श्री हेमन्त शर्मा अपीलार्थी की ओर से श्री अशोक बंसल, निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से
2.	193/2023 किरोडी लाल मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. शासन उप सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. सिद्धार्थ मीणा, अधिशाषी अभियंता, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, करौली, मुख्यालय टोडाभीम, करौली।	श्री अशोक बंसल, अपीलार्थी की ओर से श्री हेमन्त शर्मा, निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से

आदेश की दिनांक : 01.02.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें पारस्परिक सम्बन्धित होने एवं विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

2. अपील संख्या–193/2023 में अपीलार्थी किरोडी लाल मीणा ने आदेश दिनांक 08.01.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 सिद्धार्थ मीणा का स्थानान्तरण अधिशाषी अभियंता, खण्ड महुआ से अपीलार्थी के स्थान पर अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड करौली, मुख्यालय टोडाभीम के पद पर किया गया। इस अपील में अपीलार्थी किरोडी लाल मीणा ने उक्त स्थानान्तरण आदेश को इस

आधार पर चुनौती दी है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरित किया गया है और अपीलार्थी को कहीं भी पदस्थापित नहीं किया गया है। ऐसे में बिना सक्षम अधिकारी द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश के अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया जाना गलत है।

3. उक्त अपील में अपीलार्थी का यह भी आधार रहा है कि 6 माह में ही उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो गलत है। इस अपील में अपीलार्थी किरोडी लाल मीणा के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तथ्य भी प्रस्तुत किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2023 पारित किये जाने के पश्चात् नया आदेश दिनांक 14.01.2023 पारित किया जा चुका है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 08.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में अब आलोच्य आदेश विभाग द्वारा ही निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब यह अपील निरर्थक हो चुकी है। इस आधार पर अपीलार्थी ने अपील विड्रो किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील संख्या 366/2023 में अपीलार्थी सिद्धार्थ मीणा ने नवीन स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी सिद्धार्थ मीणा का स्थानान्तरण अधिशाषी अभियंता परियोजना खण्ड करौली मुख्यालय टोडाभीम से अधिशाषी अभियंता (वादकरण शाखा) कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशा.) जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.01.2023 के जरिये वर्तमान पदस्थापित स्थान परियोजना खण्ड, करौली मुख्यालय टोडाभीम में पदस्थापित किया गया था और उसकी पालना में अपीलार्थी सिद्धार्थ मीणा ने दिनांक 09.01.2023 को पदभार भी ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात 6 दिन बाद ही अपीलार्थी का नये सिरे से स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो उचित नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

5. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. अपील संख्या 193/2023 किरोडी लाल मीणा को 6 माह पूर्व ही वर्तमान स्थान पर पदस्थापित किया गया था और उसका स्थानान्तरण अन्य स्थान पर किये बिना ही उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को लगाया गया, जिसके विरूद्ध उसने अपील प्रस्तुत की। दौराने अपील किरोडी लाल मीणा के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2023 को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में किरोडी लाल मीणा को उसके स्थान पर ही रखा गया है।

7. अन्य अपील के अपीलार्थी सिद्धार्थ मीणा को, जो पूर्व में अधिशाषी अभिंयता खण्ड महुवा में कार्यरत थे, उनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 08.01.2023 के द्वारा अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड, करोली मुख्यालय टोडाभीम में किया गया, जहां पर पहले किरोडी लाल मीणा कार्यरत था। परियोजना खण्ड करौली मुख्यालय टोडाभीम में सिद्धार्थ मीणा ने दिनांक 09.01.2023 को कार्य ग्रहण कर लिया। बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा उसका पुनः स्थानान्तरण जयपुर स्थित कार्यालय में किया गया है, जिसकी पालना में दिनांक 16.01.2023 को अपीलार्थी सिद्धार्थ मीणा को कार्यमुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में करौली मुख्यालय टोडाभीम में किरोडी लाल मीणा कार्यरत है और सिद्धार्थ मीणा को कार्यमुक्त किया जा चुका है।

8. नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में किस कार्मिक की सेवाए किस स्थान पर लें। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हए प्रशासनिक आवश्यकता में परियोजना खण्ड करोली मुख्यालय टोडाभीम ने अपीलार्थी किरोडी लाल मीणा को ही पदस्थापित रखा है और सिद्धार्थ मीणा का स्थानान्तरण जो पूर्व में परियोजना खण्ड करोली मुख्यालय टोडाभीम में किया गया था, उसमें संशोधन करते हुए उसे आदेश दिनांक 14.01.2023 पारित कर, अधिशाषी अभियंता (वादकरण शाखा) कार्यालय मुख्य अभियंता

(प्रशा.) जयपुर में पदस्थापित किया गया है। उक्त आदेश प्रशासनिक कारणों से राज्य हित में किया गया है। ऐसे में प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए जो आदेश पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2023 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उक्त दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है, जिन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

9. मूल आदेश अपील संख्या–193/2023 में एवं छाया प्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)